64

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1266-चार/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-08-2008 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर सतना, जिला-सतना का प्रकरण क्रमांक 91/अपील/2007-08

....

गुरू प्रसाद शुक्ला तनय स्व. श्री रामलखन शुक्ला (मृतक) वारिसान -

1- शिववती पत्नी स्व. गुरू प्रसाद
2- विष्णुप्रसाद
3- बृजनारायण
4- लक्ष्मीकांत, पुत्रगण स्व. गुरू प्रसाद
निवासीगण- मौहारी कटरा तहसील अमरपाटन
जिला-सतना (म.प्र)

-------------आवेदकगण

विरूद्ध

1- अयोध्या प्रसाद पाण्डेय तनय स्व. श्री रामविशाल (मृतक) वारिसान -
   1. सम्पतिया बेवा अयोध्या प्रसाद पाण्डेय
   2. दिनेश
   3. रमेश, पुत्रगण स्व. आयोध्या प्रसाद
   4. केशरिया
   5. बुधिया
   6. झुन्नू
   7. बुटटी, पुत्रीगण स्व. आयोध्या प्रसाद
2- मीथला प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामरंगीले पाण्डेय
3- बृदांवन पुत्र पुत्र स्व. श्री रामरंगीले पाण्डेय
4- नंदकुमार पुत्र स्व. श्री रामरंगीले पाण्डेय
5- बीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रामरंगीले पाण्डेय
निवासीगण- मौहारी कटरा तहसील अमरपाटन जिला-सतना (म.प्र)

------------अनावेदगण

....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-08-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक स्व. आयोध्या प्रसाद द्वारा ग्राम मौहारी कटरा स्थित आराजी नं. 1152/1ख रकबा 0.38 एकड़ 1152/1क रकबा 0.38 एकड़ के खसरा सुधार किये जाने हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115-116 (घ) के तहत नायब तहसीलदार वृत्त मौहारी कटरा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय में कार्यवाही के दौरान आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30-01-08 से आवेदक का प्रचलनशीलता संबंधी आवेदन निरस्त किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक गुरूप्रसाद शुक्ला द्वारा कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है । जहॉ कलेक्टर सतना ने अपने प्रकरण क्रमांक 91/अपील/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 25-08-2008 से तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत रखा है तथा निगरानी निरस्त् की है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 115-116 (घ) के तहत आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक ने तहसील न्यायालय में प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में दिनांक 08-11-06 को

आपत्ति की गई थी । दिनांक 08-11-06 को नायब तहसीलदार मौहारी ने मात्र आवेदक की आपत्ति को एकपक्षीय रूप से सुनकर प्रकरण खारिज करने को रखा गया था तत्समय ही अनावेदक के उपस्थित होने पर प्रकरण प्रचलनशीलता पर तर्क हेतु समय प्रदान किया गया । इसके पश्चात् 16 पेशियां नियत किये जाने के बाद दिनांक 30-01-2008 को पुनः प्रचलनशीलता आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 17-01-07 को उभयपक्ष को सुनने के पश्चात् प्रकरण को प्रचलनशील मानते हुये साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया था। अतः नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30-1-08 को आवेदक की आपत्ति के आवेदन पत्र को इस आधार पर निरस्त करने में कोई त्रुटी नहीं की है कि पूर्व में प्रकरण पुनश्यः करते हुये प्रचलनशीलता पर समय प्रदान किया गया था, ऐसी स्थिति में प्रकरण समाप्त नहीं किया जा सकता। नायब तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात प्रचलनशीलता के संबंध में आवेदन का निराकरण किया है, जिसमें कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती। इसी कारण कलेक्टर सतना द्वारा भी नायब तहसीलदार के आदेश को उचित मानते हुये निगरानी खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती ।

6/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,